



संदर्भ संख्या: राबै/ डोर-जीएसएस / 706-794 / एनएलएम / 2021-22

दिनांक 30 सितंबर 2021

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
अनुसूचित शहरी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड के पुनर्वित्त के योग्य हैं

महोदय,

एनएलएम-ईडीईजी योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में बदलाव

Extension of Last Date for submission of application under NLM-EDEG Scheme

<p>कृपया एनएलएम योजना पर हमारे पत्र संख्या राबै. डोर-जीएसएस 395/ एनएलएम / 2021-22, दिनांक 30 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें।</p> <p>इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि हाल ही में इन्सयोर पोर्टल के सामने आए तकनीकी मुद्दों के कारण एनएलएम योजना के अंतर्गत लेवल II भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 08.10.2021 करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>कृपया इसे अपने संबन्धित शाखाओं के संज्ञान में लाया जाए।</p>	<p>Please refer to our letter No. NB. DoR. GSS 395/ NLM/2021-22 dated 30th July 2021 on NLM-EDEG scheme.</p> <p>In this connection, we advise that due to technical issues recently encountered in the Ensure Portal, it has been decided to extend the last date for submission of NLM Level II applications up to 08.10.2021.</p> <p>This may please be brought to the notice of your concerned branches.</p>
--	---

भवदीया

Trishra

(तृप्ति मिश्रा)

उप महाप्रबन्धक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org